आधुनिक यूरोप का इतिहास 1789-1945)

राष्ट्रीय सभा(National Assembly)

या

संवैधानिक राजतंत्र(Constitutional Monarchy)

स्नातक द्वितीय वर्ष

(चतुर्थ पत्र)

ई कंटेंट

डॉ0 राजीव कुमार

सहायक प्राध्यापक

इतिहास विभाग

लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

राष्ट्रीय सभा(National Assembly)

या

संवैधानिक राजतंत्र(Constitutional Monarchy)

- बास्तिल के पतन के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था (1789 से 1792 तक) का संचालन जिस संस्था के हाथों में रहा उसे राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेम्बली के नाम से जाना जाता है।
- यह तीव्र सामाजिक एवम् संस्थागत परिवर्तन काल माना जाता है। अभिजात्य वर्ग क्रांति के दौरान अपने खोये हुए अधिकारों को फिर से पाना चाहता था।
- पेरिस के बुर्जुआओं ने नगरीय प्रशासन के लिए पेरिस कम्यून की स्थापना की तथा पेरिस की आंतरिक सुरक्षा के लिए जनरल लफायते के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा दल (The National Guard) का गठन किया गया।
- फ्रंस में पहली बार संविधान सभा का स्वतः गठन हो गया। अबतक तृतीय इस्टेट जो तिरस्कृत और उपेक्षित था वह संगठित और मुखर हो गया।

राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियाँ

- सामंतवाद का उन्मूलन

1) फ्रांस में आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर 04 अगस्त1789 को संसद की बैठक हुई।
2) यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने अधिकारों की माँग की। इस बात की बहस चल हीं रही थी कि नोएलीज नामक कुलीन ने कहा कि जबतक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा तबतक फ्रांस की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। अतः मैं स्वेच्छा से अपने अधिकारों का परित्याग करता हूँ।
3) इसके बाद एक एक कर सभी कुलीनों ने अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया।
4) पादरियों ने भी टाइथ नामक कर, जो संपति का 10 फीसदी होता था, नहीं वसूलने की घोषणा की।
5) बेगारी प्रथा, नजराना, पदों की नीलामी तथा जमीन्दारी न्यायालय सभी का अंत कर दिया गया।

6) इस सब के पीछे पेरिस की अनियंत्रित भीड. तथा तृतीय सदन के सदस्यों का दबाव था।

- मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा (Declaration of Right of Man and Citizen)
  1) रुसो के कॉमन विल या जेनरल विल के अनुसार ईश्वर के बजाय सर्वोच्च सत्ता को साक्षी मानकर मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई।
  2) इसके अनुसार मनुष्य के कुछ नैसर्गिक अधिकार होते हैं जो उन्हें जन्म से प्राप्त होते हैं। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंक्तत्रता, संपत्ति रखने तथा अपनी सुरक्षा का अधिकार।
  3) कानून सामान्य इच्छा (जेनरल विल) की अभिव्यक्ति है।
  4) राज्य का जन्म व्यक्ति के सामूहिक प्रयत्न का फल है। इसीलिए व्यक्तियों को स्वयं या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन और विधि निर्माण में भाग लेने का हक है।

5) किसी भी संस्था का चाहे वह परिवार हो या राज्य उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे।
6) राज्य व्यक्ति के अधिकारों का दमन ना करे इसलिए उसके अधिकारों पर नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।

- पादरियों का नागरिक विधान(The Civil Constitution of the Clergy)- नेशनल असेम्बली ने कुलीनों के बाद पादरियों के अधिकारों को भी सीमित करने का प्रयास किया। इस क्रम में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय-
  1) फ्रांस के अधिकांश धार्मिक ईकाइयों को समाप्त कर उसकी संख्या सीमित कर दी गई। साथ हीं सभी की सीमा भी निर्धारित कर दिया गया।
  2) धर्म के अधिकारियों के चुनाव का अधिकार जनता को दे दिया गया।
  3) पादरियों को राज्य का कर्मचारी घोषित किया गया। उसके वेतन, भत्ते और अवकाश राज्य द्वारा निर्धारित किया गया।

4) पोप की स्वीकृति अब केवल औपचारिक मात्र रह गया।
5) पादरियों के लिए प्रशासन के नियम मानना अनिवार्य कर दिया गया तथा यह भी घोषणा की गई कि विधान के अनुसार अब पादरी भी दंडित किये जा सकेंगे।
6) पादरियों के लिए देश, कानून और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया।
7) राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित कानून के प्रति निष्ठा व्यक्त करना अनिवार्य कर दिया गया।
8) इन कानूनों को राजा ने तो स्वीकृत कर दिया परंतु पोप ने इसे स्वीकार नहीं किया।
9) इस कानून के तहत शपथ लेने वाले पादरियों को ज्यूरर कहा गया जबकि शपथ नहीं लेने वाले को ऩॉन ज्यूरर।

- राष्ट्रीय संपदा का उदय- नेशनल असेम्बली ने कुलीनों एवम् पादरियों के विशेषाधिकार को छिन लिया तथा उनके संपत्ति को राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया गया।

➢ नवीन संविधान(The New Constitution, 1791)

- व्यवस्थापिका
  a) पुरातन परंपरा के विपरीत एक सदनीय व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 745 निर्धारित कर दिया गया।
  b) सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया।
  c) प्रत्येक वर्ष मई माह में इसके बैठक को अनिवार्य कर दिया गया। इसके बैठक को राजा भंग नहीं कर सकता था।
  d) युद्ध और शांति के लिए व्यवस्थापिका की सहमति अनिवार्य कर दिया गया।
  e) हर वयस्क नागरिक जो तीन दिन की आमदनी के बराबर कर अदा करता हो उसे मताधिकार प्रदान किया गया।
  f) महिलाओं को मताधिकार के अतिरिक्त प्रायः सभी अधिकार प्रदान किया गया।

- कार्यपालिका
    a) कार्यपालिका का प्रधान राजा को बनाया गया तथा उसे मंत्री नियुक्त करने का भी अधिकार मिला परंतु इसके लिए नेशनल असेम्बली की सहमति अनिवार्य थी।
    b) नेशनल असेम्बली का सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता था। राजा संसद में कोई विधेयक पेश नहीं करा सकता था।
    c) राज परिवार के लिए खर्च की राशि निर्धारित कर दी गई। अर्थात वित्त पर राजा के एकाधिकार को नियंत्रित करने की कोशिश की गई।
- न्यायपालिका
    a) न्याय को सस्ता और सुलभ बनाया गया।
    b) न्यायाधीशों के निर्वाचन का अधिकार जनता को दिया गया।
    c) न्याय व्यवस्था में सहयोग के लिए ज्यूरी की नियुक्ति की गई।

धन्यवाद

घर पर रहें।

सुरक्षित रहें।